छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in
वेबसाइटः www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2009-10/14 दिनांक 20.06.2011

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009-10 संग्रहण काल में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा एवं कचरिया के विक्रय हेतु

निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में हर्रा के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है,

- शासन के द्वारा वर्ष 2009-10 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित हर्रा की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में हर्रा का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए ।

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी हर्रा उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए हर्रा के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति क्विंटल की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति क्विंटल का क्रय मूल्य का भुगतान कर प्राथमिक समितियों के हर्रा, कचरिया संग्रहित किया गया । हर्रे का परिवहन कर गोदामीकरण किया गया ।

अतएव अब संघ उक्त हर्रा के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

अनुसूची (हर्रा की लाट सूची)

इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में गोदामीकृत हर्रा की लाटों के क्रय के लिये दिनांक 31.10.2011 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II (निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III (निविदाकार करारनामा)

(I) निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-II) में ही अपनी निविदा परिशिष्ट-III में दिये गये प्रपत्र में निविदाकार के करारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगी । निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाईट से ही प्राप्त किये जा सकते है । निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा किसी भी कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध नही होंगे । निविदा पत्र पूर्णतः निःशुल्क है, निविदाकार निविदा पत्र हेतु किसी प्रकार की राशि जमा न करें ।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है । आवश्यक अभिलेख डाउनलोड कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र के द्वितीय पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 5.5 में अंकित करना होगा ।

(II) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी ।

वर्ष 2009-10 में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा, कचरिया के क्रय करने हेतु निविदा ।

निविदा खोलने की तिथि 14.07.2011
(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2009-10/14 दिनांक 20.06.2011)

प्रति,
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट,
वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर,
रायपुर - 492007

प्रेषक,
निविदाकार का नाम - ....
पता - ....

(III) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, संघ को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यूक अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 14.07.2011 को 15.30 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007 कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना -

प्रबंध संचालक, संघ कार्यालय में प्राप्त निविदायें दिनांक 14.07.2011 को 16.00 बजे से ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007 के कार्यालय में प्रबंध संचालक संघ द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

7. केता करारनामा का निष्पादन -

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित हर्रा के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार इकाई का केता माना जावेगा ।

परिशिष्ट-IV
(केता का करारनामा)

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक इकाई के लिए परिशिष्ट (IV) (केता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 15वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में केता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये केता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, केता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम केता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो केता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान -

केता हर्रा के क्रय से संबंधित देय राशि का भुगतान केता करारनामा में उल्लेखित रीति से करेगा । केता देय राशि का भुगतान निम्नांकित तिथियों या उसके पूर्व करेगा :-

	किश्तें	**दिनांक**
1.	प्रथम किश्त	16.08.2011
2.	द्वितीय किश्त	16.09.2011

9. हर्रा का परिदान/परिवहन -

देय राशि के भुगतान के उपरांत हर्रा का परिदान/परिवहन परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. परिशिष्ट -

संग्रहण वर्ष 2009-10 के लिये परिशिष्ट-**I** एवं **IV** जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है जो की संघ की अधिसूचना क्रमांक/संघ/हर्रा/2009-10/7 दिनांक 10-05-2010 के साथ संलग्न है । समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है, उनको संदर्भ के लिये देखें । परिशिष्ट-**II** एवं **III** जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है, इस सूचना के साथ संलग्न है ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. **केता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में** हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

13. यदि कोई केता शासन/संघ के विरूद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो केता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी ।

14. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट- II

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2009-10/14 दिनांक 20.06.2011 का परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

वर्ष 2009-2010 संग्रहण काल में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा एवं कचरिया के क्रय हेतु निविदा पत्र

(निविदा सूचना शर्त -4)

1. मैं/हम/मेसर्स .... (नाम अक्षरों में) आत्मज .... (नाम अक्षरों में) ग्राम .... पुलिस थाना .... तहसील .... जिला .... पिन कोड नं .... एतद् द्वारा कच्चे माल के रूप में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित एवं गोदामीकृत समस्त हर्रा की मात्रा जो कि लाट क्रमांक .... लाट का नाम .... जिला यूनियन .... में संग्रहित एवं गोदामीकृत है, निविदा सूचना तथा करारनामे की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार क्रय करने के लिये करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/हम .... दिनांक .... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त लाट में भंडारित हर्रा के लिये रुपया .... (अंको में) .... (शब्दों में) प्रति क्विंटल क्रय दर बिना बोरे में भरे जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते हैं । (एक किलो कचरिया ढाई किलो हर्रा के समतुल्य एवं एक किलो बाल हर्रा सात किलो हर्रा के समतुल्य माना जावेगा ।)

3. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोष्ति करता हूं/करते हैं, कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के समस्त उपबंधनों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, इस निविदा सूचना की शर्तों और निविदा सूचना में संलग्न करार की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूॅं/करते हैं, मैंने/हमने उपरोक्त लाट का, जिसके लिये निविदा दी जा रही है, स्वयं निरीक्षण किया है ।

4. मैं/हम छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अंतर्गत वर्ष 2011 के लिये हर्रा के व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जिस पर जिला यूनियन............................ .... का क्रमांक .... दिनांक .... अंकित है, धारण करता हूॅं/करते हैं, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न करता हूं/करते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूं/करते हैं ।

अ.क्र.	अभिलेख	विवरण	निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ.क्रमांक.......... से ....तक
1.	क्रय मूल्य की 10% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 5(I))	क्र. बैंक/डिमांड ड्राफट क्रमांक एवं दिनांक बैंक का नाम एवं ब्रांच राशि रू.	
	योग कंडिका क्र.(1)		
2.	वन विभाग/संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(IV))		
	योग कंडिका क्र.(2)		
3.	मुख्त्यारनामा की/ फर्म के पंजीयन की/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.4)	(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)	
4.	छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अधीन पंजीयन प्रमाण- पत्र की प्रति (परिशिष्ट -I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(V))	वन मण्डल .... क्रमांक ....दिनांक.................... (फोटो प्रति संलग्न है)	
5.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 A के अनुसार आवश्यक स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) का विवरण (निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 5(I)	आयकर का स्थाई खाता क्रमांक (PAN) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (फोटो प्रति संलग्न करें)	

स्थान ....

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर.................

डाक का पूरा पता ....

दूरभाष क्रमांक ....

परिशिष्ट- III

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2009-10/14 दिनांक 20.06.2011 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक - 4(II))

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्....................को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला यूनियन .... के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स .... आत्मज .... ग्राम .... पुलिस थाना .... जिला .... (जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

चूँकि हर्रा का व्यापार छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को प्रदेश की विभिन्न हर्रा इकाईयों में संग्रहित होने वाले हर्रा की समस्त इकाईयों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष 2009-10 संग्रहण सीजन में संघ लाट क्रमांक (अंकों में) .... (शब्दों में) .... गोदामीकृत हर्रा का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/ / दिनांक / / जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं/ हम .... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम .... एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस इकाई/इकाईयों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे .... के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/ / दिनांक / / के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम .... एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

   जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....
   की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम ....
डाक का पूरा पता ....
....

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर .... संघ की ओर से ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....
   की उपस्थिति में